मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1192/आर 421/13/ब-1/चार भोपाल, दिनांक 06/12/2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष / बजट नियंत्रण अधिकारी,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- पुनर्विनियोजन एवं बचतों के समर्पण के संबंध में।

संदर्भ:- इस विभाग का परिपत्र 253/आर 213/चार/ब-1/2012, दिनांक 13.02.2012
इस विभाग का परिपत्र 1398/आर 421/चार/ब-1/2013, दिनांक 20.11.2013

--::::::-

पुनर्विनियोजन एवं बचतों के समर्पण के संबंध में पूर्व में जारी सभी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये निम्नानुसार निर्देश दिनांक 01.04.2017 से लागू होगें :-

1. सामान्य **प्रतिबंध** जो सभी प्रकार के पुनर्विनियोजनों पर लागू होंगे:-

A. **"मतदेय"** से **"भारित"** में एवं **"भारित"** से **"मतदेय"** में पुनर्विनियोजन नहीं किया जा सकेगा।

B. एक **"मांग संख्या"** से किसी अन्य **"मांग संख्या"** में पुनर्विनियोजन नहीं किया जा सकेगा।

C. कोई पुनर्विनियोजन किसी ऐसी नई सेवा पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिये नहीं किया जा सकेगा जिसके बारे में विनियोग अधिनियम में प्रावधान नहीं किया गया हो । साथ ही ऐसे विस्तृत शीर्ष अथवा उददेश्य शीर्ष जिनके लिये **शून्य प्रावधान** है, उनमें पुनर्विनियोजन नहीं किया जा सकेगा।

D. कोई भी पुनर्विनियोजन **"पूंजी अनुभाग"** से **"राजस्व अनुभाग"** में तथा **"राजस्व अनुभाग"** से **"पूंजी अनुभाग"** में नहीं किया जा सकेगा ।

निरन्तर....

2. मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम ।। (तीन, चार व पांच) के अंतर्गत पुनर्विनियोजन तथा लेखा परीक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली संसूचियां लेखा परीक्षा प्राधिकारी को वित्त विभाग द्वारा संसूचित किये जाने का प्रावधान है । इन प्रयोजनों के लिये विभागों को अधिकार प्रत्यायोजित करने के लिये वित्त विभाग प्राधिकृत है। अतएव उक्त अनुक्रम में "पुनर्विनियोजन " एवं "आवंटनों के बचतों के समर्पण" के अधिकार प्रशासकीय विभाग को उपरोक्त एवं निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रत्यायोजित किये जाते हैं:-

A जिन योजनाओं में त्रैमासिक व्यवस्था है उसमें वित्तीय वर्ष के बीते त्रैमासों के अव्ययित प्रावधान से पुनर्विनियोजन नहीं किया जा सकेगा ।

B. जिन योजनाओं में त्रैमासिक व्यवस्था लागू है उसमें पुनर्विनियोजन से प्राप्त राशि का वर्तमान त्रैमास एवं आगामी त्रैमास/त्रैमासों में पुनर्वितरण (Redistribution) संबंधित प्रशासकीय विभाग तय कर सकेगा ।

C. राजस्व उद्ग्रहण से संबंधित व्ययों में बचत होने पर किन्हीं ऐसे व्यय, जो राजस्व प्राप्ति से संबंधित नहीं है, में पुनर्विनियोजन नहीं किया जा सकेगा ।

D. स्थापना तथा अनिवार्य व्यय के प्रावधानों, नगरीय एवं ग्रामीण निकायों को समनुदेशन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) एवं बाह्य सहायता (Externally Aided) से प्राप्त/पोषित योजनाओं से संबंधित कोई भी राशि अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजन नहीं की जा सकेगी ।

E. जब पुनर्विनियोजन किसी एक सामान्य मांग संख्या के अंतर्गत एक विभाग से अधिक विभागों के बजट नियंत्रण अधिकारियों के मध्य में किया जाना है तो तत्संबंधी मांग संख्या के अंतर्गत पुनर्विनियोजन संबंधी आदेश जारी करने के पूर्व संबंधित विभागों, वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति सेगमेन्ट कोड के अंतर्गत एक विभाग से अधिक विभागों के मध्य पुनर्विनियोजन के आदेश अनुसूचित [redacted]जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की सहमति के पश्चात जारी किये जा सकेंगे ।

F. जल संसाधन/ नर्मदा घाटी विकास/लोक निर्माण/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग संबंधी अनुदानों में उच्चंत शीर्ष (Suspense Head) के अधीन व्यय के लिये आवंटित निधियों का पुनर्विनियोजन नहीं किया जा सकेगा ।

निरन्तर.....

G. **योजना शीर्ष (scheme Code)** जिससे राशि पुनर्विनियोजित की जा रही है के विचाराधीन मांग अंतर्गत योजना शीर्ष के कुल बजट प्रावधान का **50%** या जिसमें पुनर्विनियोजित किया जाना है के मांग अंतर्गत योजना शीर्ष के कुल बजट प्रावधान का **50%** या रूपये **5 करोड** जो भी कम हो, से अधिक राशि पुनर्विनियोजित नहीं की जा सकेगी ।

H. **किसी भी योजना शीर्ष** (Scheme Code) अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में एक ही बार पुनर्विनियोजन किया जा सकेगा एवं किसी भी शीर्ष में बचत से पुनर्विनियोजन तभी किया जायेगा जब पुनर्विनियोजन पश्चात उसी शीर्ष में पुनः पुनर्विनियोजन या अनुपूरक अनुमान / मांग के माध्यम से अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी योजना शीर्ष में एक वित्तीय वर्ष में एक ही बार पुनर्विनियोजन का आशय यह है कि एक स्कीम से दूसरी स्कीम में पुनर्विनियोजन एक ही बार किया जायेगा। यदि दूसरी स्कीम में किसी अन्य स्कीम से या उसी स्कीम में से एक बार और पुनर्विनियोजन किया जाना हो तो प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा । यदि पुनर्विनियोजन एक स्कीम के विभिन्न उददेश्य शीर्षों में आपस में करना है, तो एक वित्तीय वर्ष में एक बार की सीमा लागू नहीं होगी।

I. **वेतन -भत्ते, मजदूरी, पेंशन (#11, #12, #13, #16, #17, #18, #19)**, कार्यालय व्यय (#22) , व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां (#31) , परीक्षा एवं प्रशिक्षण (#24), **" अंतर लेखा अंतरण"** (#73) एवं **अन्य प्रभार** (#51) के उद्देश्य शीर्षो से अन्य उद्देश्य शीर्षों में पुनर्विनियोजन नहीं किया जा सकेगा ।

J. विस्तृत शीर्ष **" कार्यालय फर्नीचर का क्रय "** , **" नवीन वाहन का क्रय"** , **" वाहन का प्रतिस्थापन"** , **" चिकित्सा प्रतिपूर्ति", "अन्य भत्ते"** , **" अन्य आकस्मिक व्यय"** एवं **"अन्य"** के मद में कोई पुनर्विनियोजन नहीं किया जा सकेगा ।

K. पुनर्विनियोजन स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी द्वारा, पुनर्विनियोजन आदेश में , **" प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोजन प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं आता है और इसमें राज्य शासन द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है "** प्रमाण-पत्र अंकित किया जावेगा ।

3. कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित सभी शर्तों के अधीन एक ही योजना शीर्ष (Scheme Code) के उसी उददेश्य शीर्ष अंतर्गत विभिन्न विस्तृत शीर्षों में, बजट नियंत्रण अधिकारी के कार्यालय के वित्तीय सलाहकार/वित्त अधिकरी की सहमति से एवं तदाशय का आदेश में उल्लेख करते हुये, अधिकतम रुपये

निरन्तर.....

5 करोड तक के पुनर्विनियोजन के अधिकार बजट नियंत्रण अधिकरी (BCO) को प्रत्यायोजित किये जाते हैं ।

4. उपरोक्त कंडिका 2 में किसी भी शर्त का शिथिलीकरण वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर किया जा सकेगा एवं जारी आदेश में उक्त सहमति का क्रमांक/दिनांक का उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा ।

5. यथासंभव समस्त समर्पण उस वित्तीय वर्ष में 15 जनवरी के पूर्व कर लिया जाना चाहिये ताकि वित्त विभाग उपलब्ध संसाधनों का अन्यत्र उपयोग कर सके ।

6. समस्त पुनर्विनियोजन/समर्पण के आदेशों की प्रति वित्त विभाग, आयुक्त-कोष एवं लेखा, संचालक, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, एवं महालेखाकार को पृष्ठांकित किये जायेंगे । समस्त पुनर्विनियोजन/सर्मपण की प्रविष्टि आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश के सर्वर में की जावेगी । वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रशासकीय विभाग समस्त संसूचनाएं एकजाई कर 15 अप्रैल तक महालेखाकार को उपलब्ध कराएँगे ताकि महालेखाकार समय पर विनियोग लेखे तैयार कर सके ।

उपरोक्त सभी निर्देशों का पालन कराने का दायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव का होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अमित राठौर)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

निरन्तर.....

1193
प0 क्र 0 /आर 421/चार/ब-1/2013 भोपाल, दिनांक 06 /12/2016

प्रतिलिपि :-

1) राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल ।
2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा , भोपाल ।
3) निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
4) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5) सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
6) सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7) महाधिवक्ता,/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल /इंदौर/ग्वालियर ।
8) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 म 0 प्र 0 ग्वालियर /भोपाल।
9) आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
10) मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर , म 0 प्र 0 मंत्रालय, भोपाल ।
11) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा, मध्यप्रदेश ।
12) समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
13) समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अदिति कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग